

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (I)
PART II—Section 3—Sub-section (I)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 385] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 23, 1981/अग्रहायण 7, 1903
No. 385] NEW DELHI, SATURDAY, NOV. 28, 1981/AGRAHAYANA 7, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

प्रसिद्धता

नई दिल्ली, 28 नवम्बर, 1981

सं० 256/81-सीमाशुल्क

सं० का० नि० 620(अ).--केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1981 (1981 का 16) की धारा 47 की उपधारा (4) के साथ पठित सीमाशुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व

1005 GI/81

(1805)

विभाग) की अधिसूचना सं० 134-सीमा शुल्क, तारीख 12 मई, 1981 में निम्नलिखित संशोधन करता है; अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना के पैरा 2 में, "30 नवम्बर, 1981" शब्दों और शब्दों के स्थान पर "31 मार्च, 1982" शब्द और शब्द रखे जाएंगे।

[फा० सं० 355/148/81-सीमा शुल्क-1]

के० चन्द्रमौलि, अधीक्षक सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th November, 1981

NO. 256/81-CUSTOMS

G.S.R. 620(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) read with sub-section (4) of section 47 of the Finance Act, 1981 (16 of 1981), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 134-Customs, dated the 12th May, 1981, namely :—

In paragraph 2 of the said notification, for the figures, letters and word "30th November, 1981" for figures, letters and word "31st March, 1982" shall be substituted.

[F. No. 355/148/81-Cus. 1]

K. CHANDRAMOULI, Under Secy.